Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा को घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील–रायगढ़, जिले रायगढ़ के रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 में रकबा 1.349 हे. एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में कोयला परिवहन के लिए रेल लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : -12-2020

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary, C.G. Govt. Forest Department

(Manoj KumarPingua)
Principal Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–19/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/12/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project of NTPC Limited area - 8.795 ha.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–752 /1620, दिनांक 29.08.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–752 /2075, दिनांक 23.11.2020।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा का घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील–रायगढ़, जिले रायगढ़ में रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रगांक 897 में रकबा 1.349 हे. एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि कोयला परिवहन के लिए रेल लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 3
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/RAIL/35461/2018** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।	4 –8
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील –रायगढ़, जिले रायगढ़ में रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 में कोयला परिवहन के लिए रेल लाईन निर्माण हेतु रकबा 1.349 हे. आरक्षित वन भूमि एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	9
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** रेल लाईन निर्माण परियोजना के लिए 104.917 हे. गैर वन भूमि प्रस्तावितं है।	10

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	11 – 18
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	19– 24
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में रेल लाईन निर्माण हेतु रकबा 1.349 हे. आरक्षित वन भूमि एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 2000 करोड़. बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.4 तक है।	25 – 30
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** यह प्रस्ताव पूर्व स्वीकृति तलाईपाली कोयला खदान के लिए स्वीकृति 766.393 हे. वन भूमि जिसमें 710.123 हे. कोयला खदान के लिए 56.270 कोतरिया से तलाईपाली तक रेल लाईन के लिए था। इसके अलावा रेलवे लाईन निर्माण हेतु 8.795 हे. अतिरिक्त वन एवं राजस्व वन भूमि की मांग की गई है।	31 – 32
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र–** यूजर एजेंसी द्वारा दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।	33
10	**यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है। ग्राम राकेरा, बनाई, बरकरापाली, डोलेसारा, बांसनपाली, कसडोल, कांटाझारीया, रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 एम.जी.आर रेलवे तिलाईपाली कोयला खनन परियोजना से कोयले की निकासी के लिए 8.795 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिये अन्य सभी विकल्पों का पता लगा लिया गया है और आवेदित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है।	34
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है (प्रस्ताव पृ. क्र.–38)।	35 – 48
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 422 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।	49 – 63
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट की आवश्यकता नहीं है।	64
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।	65
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित है अतः गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।	66
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 8.795 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि ग्राम पुसल्दा, बैगाबहरी नारंगी वनखण्ड रकबा 25.00 हे. में से 17.590 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है।	67 – 98

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	99
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण– रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम बासनपाली, डोलेसरा, बरकसपाली, बनाई, कसडोल एवं राईकेरा में राजस्व वन भूमि में स्थित वृक्षों की अवैध कटाई कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल रायगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वृक्षों की कटाई भूलवश की गई थी क्योंकि कटाई के दौरान निजि भूमि के साथ स्थित राजस्व वन भूमि के छोटे टूकड़े चिन्हांकित नहीं किये जा सके थे।	100
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हेतु महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., तलाईपाली से अथदण्ड वसूल किया गया है।	101
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हेतु पी.ओ.आर क्रमांक 4552/02, 4556/25, 4781/09, 4781/08, 4620/ 12 दिनांक 18.02.2019 एवं पी.ओ. आर. नं. 4883/02 दिनांक 21.02.2019 दर्ज किया जाकर प्रकरणवार हानि की राशि एवं अर्थ दण्ड मुआवजे के लिए दिनांक 10.04.2020 को वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा 4,08,194/– का मांग पत्र जारी किया गया है। जिसका भुगता एन.टी.पी.सी. द्वारा दिनांक 13.04.2020 से मल्टीसिटी चेक क्रमांक 455769 द्वारा कर दिया गया है।	102 – 104
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – क्षतिपूति** वृक्षारोपण दुगुने बिगड़े वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	105
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106) –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	106
23	**रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	107
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	108
25	**व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 109) –** प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	109
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 115) –** भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।	110–115
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116) –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	116
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 117) –** प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ग्राम टारपाली, राकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बांसनपाली, कसडोल, कांटाझारीया, रेगड़ा, सम्बलपुरी एवं तारपाली ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	117
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 118) –** रायगढ़ जिले की कुल वन भूमि 152959.600 हे. है।	118

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 121) –** रायगढ़ वन मंडल में 57 प्रकरणों के लिए 3381.001 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	119–121
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 122) –** रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 5 प्रकरण में 847.627 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।	122
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 123) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल एवं परिक्षेत्राधिकारी तमनार, रायगढ़ एवं घरघोड़ा का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	123
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 124) –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	124
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 125 से 128) –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.2019 को जारी किया गया है।	125–128
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 129 से 130) –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 03.10.2018 को जारी किया गया है प्रस्ताव में संलग्न है।	129–130
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 132) –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	131–132
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 133) –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	133
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 134) –** वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के कथन अनुसार प्रस्तावित स्थल की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बालुई है जिसमें हयूमन, लगभग सामान्य है। इसलिए मृदा वृक्षों / वनस्पतियों के लिए उपयुक्त है।	134
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 135) –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है। विस्तुत जानकारी लेक लिस्ट क्रमांक 18, 19 एवं 20 में उल्लेखित है।	135
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the FCA 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 136) –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	136
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 137 से 138) –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	137–138
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 139) –** वन्य प्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	139
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 140) –** लागू नहीं।	140
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 141) –** डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।	141

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के website www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर क्पअमतेपवद प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–19/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/12/2020

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,
2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
4.आवेदकर्ता मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली, कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड, घरघोड़ा छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

-5-NTPC 8.795 ha. L.doc